भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.08.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2576 का उत्तर

आरओबी/आरयूबी का रखरखाव

2576. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे देश में रेल पुलों, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का वार्षिक निरीक्षण और रखरखाव करती है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निरीक्षण करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निरीक्षण किए गए ऐसे विभिन्न पुलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे पुलों की निरीक्षण रिपोर्ट क्या है;
(घ) क्या विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण पुलों की तृतीय पक्ष द्वारा संपरीक्षा कराई जा रही है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्निर्माण के लिए अनुशंसित किए गए पुलों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) ऐसे विभिन्न पुलों के पुनर्निर्माण के लिए आवंटित, जारी और अब तक उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

आरओबी/आरयूबी का रखरखाव के संबंध में 04.08.2021 को लोक सभा में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रवि किशन, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री प्रतापराव जाधव, श्री सुब्रत पाठक, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री चंद्र शेखर साहू के अतारांकित प्रश्न सं. 2576 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): जी हां। रेलवे पुलों/ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी) एवं ऊपरी पैदल पुलों (एफओबी) की वास्तविक स्थिति के आवधिक आकलन के आधार पर निरीक्षण/अनुरक्षण तथा निगरानी प्रोटोकोल की एक सु-स्थापित प्रणाली का अनुसरण करती है। आरओबी सहित सभी रेलवे पुलों का पदनामित अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाता है, पहला मानसून आने से पहले और दूसरा मानसून के बाद। पदनामित अधिकारियों द्वारा सभी ऊपरी पैदल पुलों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण/अनुरक्षण प्रोटोकोल पर पुल की आयु की कोई सीधी प्रासंगिकता नहीं होती है। मौजूदा प्रणाली में, रेलवे पुल की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए रेलवे संख्यात्मक रेटिंग प्रणाली को अपनाती है। प्रत्येक पुल को समग्र रेटिंग संख्या (ओआरएन) दी जाती है। निरीक्षण के दौरान पता चलने पर उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर, जब भी आवश्यक हो, पुल की मरम्मत/पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण/मजबूतीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। पिछले 3 वर्षों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी पुलों का निरीक्षण किया गया है।

(घ) और (ङ) : एक बार के उपाय के रूप में, रेलवे द्वारा इन अवसंचनाओं की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील रेलवे पुलों/आरओबी/एफओबी का तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा की जाती है। आईआईटी, एनआईटी आदि जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा करने के लिए 999 रेलवे पुलों/आरओबी/एफओबी की पहचान की गई थी। अब तक, 860 पुलों की लेखापरीक्षा की गई है और शेष कार्यों को शुरू कर दिया गया है। जहां भी अपेक्षित हो, आवश्यक मरम्मत/पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण किया जाता है। तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट क्षेत्रीय रेलों की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा के बाद, मुंबई क्षेत्र के 49 आरओबी को जर्जर हालत में देखी गई। 43 आरओबी की आवश्यक मरम्मत कर दी गई और शेष 6 आरओबी को बंद कर दिया, तोड़ दिया गया और उनका पुनर्निमाण कार्य प्रगति पर है।

मुंबई क्षेत्र में भी 127 एफओबी को जर्जर हालत में देखा गया। 95 एफओबी के आवश्यक मरम्मत कर दी गई और 32 एफओबी तोड़ दिए गए और बदल दिए गए। 20 एफओबी के पुनर्निमाण का कार्य पूरा हो गया है और शेष 12 एफओबी का कार्य प्रगति पर है।

S.K

(च) और (छ): पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत/पुनरुद्धार/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण के लिए सिफारिश किए गए पुलों और आबंटित राशि तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मरम्मत/पुनरुद्धार/मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण किए गए पुलों की संख्या	आबंटित एवं जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में)
2018-19	1013	565	539
2019-20	1367	784	785
2020-21	1114	777	781
2021-22	617 (जून, 2021 तक)	900	217 (जून, 2021 तक)

****

S.K